

28-1-25

पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप.।
तहसीलदार, मांगरोल से रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार
मांगरोल की रिपोर्ट अनुसार आवेदन के
समय वादी को जाही खाती दर्ज हुई थी।
चम्बल परिधोजना सरकारी भूमि आवरण तथा
खिकी नियम 9 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र में
वादी का नाम शुभराज कुम कालू जाहल खाती
सा. देह दर्ज है। अतः तहसीलदार, मांगरोल
एव राजा-त रिपोर्ट मय पत्रावेजाह के आधार
पर वाद अम्कीकार कर खातिज किया जाता
है। पत्रावली फौजल शुमार दौकर मम्बल
से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक
28-1-2025 को सरे इगलास सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल